कार्यवृत्त
गुरूवार, 28 भाद्रपद, शक संवत्, 1935
(दिनांक 19 सितम्बर, 2013 ई0)

खण्ड-37
अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को माननीय कृषि मंत्री के आवास पर चली गोली से दो लोगों के गम्भीर चोट से घायल होने के सम्बन्ध में नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांगी की। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में हुई दैवीय आपदा के सम्बन्ध में चर्चा जारी है। अतः वे इस विषय को नियमानुसार नियमों में लेकर आए तभी उस पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में प्रश्नकाल स्थगित करते हुए (उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।) चर्चा श्री ललित फर्स्वाण के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :-

श्री गणेश जोशी,
श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी,
श्री माल चन्द,
श्री हरीश धामी,
श्री पूरन सिंह फर्त्याल,
श्री दिनेश धनै,
श्री हरबन्स कपूर,
श्री हेमेश खर्कवाल,
श्री रमेश पोखरियाल, 'निशंक'
श्री नवप्रभात,
श्री हरभजन सिंह चीमा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

कृषि मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

कृषि मंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

सदन की कार्यवाही 2 बजकर 04 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में भोजनावकाश के बाद पुनः चर्चा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त कियेः-

श्री गणेश गोदियाल,
श्री अजय टम्टा।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2013 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा ने "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड रूद्रपुर के अन्तर्गत ग्राम कनकपुर में राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री बलजीत सिंह, निवासी, ग्राम कनकपुर पो0 प्रतापपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल कुमार, निवासी, ग्राम रूद्रपुर विकास खण्ड विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर के ग्राम देवथला में अनुसूचित जाति बस्ती के लिए कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री दौलत राम, निवासी, ग्राम सभा रूद्रपुर विकास खण्ड विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लांघा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री गेन्दन लाल, निवासी, ग्राम लांघा विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम जमनीपुर तप्पड़ में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अश्वनी कुमार, निवासी, ग्राम ममनीपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने "जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के नगर पालिका परिषद् वार्ड नं0-1,4,5 तथा वार्ड नं0-9 में सीवर लाईन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र प्रकाश, निवासी, नगर पालिका परिषद् विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा छरबा (उस्मानपुर) की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री लियाकत अली, निवासी, ग्राम सभा छरबा (उस्मानपुर) विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा फतेपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उत्तरी उद्‌मादी नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अश्वनी कुमार, निवासी, ग्राम फतेपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा कटापत्थर की हजारों बीधा कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित होने के कारण सुरक्षा हेतु कटापत्थर में यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री पाती राम, निवासी, ग्राम कटापत्थर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा ढकरानी के नहर पार कृषि फार्म के पीछे निवासियों की कृषि भूमि के लिए सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' मो0 यूनुस, निवासी, ग्राम सभा ढकरानी विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम- 53 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के 42 विभिन्न सड़क सम्पर्क मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राज कुमार ठुकराल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मछोड़ नामक स्थान पर सम्पूर्ण स्वीकृति के उपरान्त भी विद्युत सब पावर स्टेशन के निर्माण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काला पातल-ल्वेशाल एवं कस्यालेख-सूपी पाटा रोड के बन्द होने जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के प्राथमिक विद्यालय खूना के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में पुनः चर्चा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त कियेः-

श्री प्रदीप बत्रा,
श्री आदेश चौहान,
श्री विक्रम सिंह नेगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत रू0 266500 हजार (छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख) अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत रू0 213960 हजार (इक्कीस करोड़ उन्तालीस लाख साठ हजार) अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 57781 हजार (पांच करोड़ सतहत्तर लाख इक्यासी हजार) अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 19681926 हजार (एक हजार नौ सौ अरसठ करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस

हजार) अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत रू0 5963186 हजार (पांच सौ छियानवे करोड़ इक्तीस लाख छियासी हजार) अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत रू0 14850 हजार (एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार) अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 782219 हजार (अठहत्तर करोड़ बाईस लाख उन्नीस हजार) अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 2544448 हजार (दो सौ चौवन करोड़ चौवालीस लाख अड़तालीस हजार) अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 446167 हजार (चौवालीस करोड़ इक्सठ लाख सरसठ हजार) अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 2302420 हजार (दो सौ तीस करोड़ चौबीस लाख बीस हजार) अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 143100 हजार (चौदह करोड़ इक्तीस लाख) अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 450006 हजार (पैंतालीस करोड़ छः हजार) अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 295028 हजार (उन्तीस करोड़ पचास लाख अठाईस हजार) अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 2581590 हजार (दो सौ अठ्ठावन करोड़ पन्द्रह लाख नब्बे हजार) अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 79787 हजार (सात करोड़ सन्तानवे लाख सत्तासी हजार) अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 78812 हजार (सात करोड़ अठासी लाख बारह हजार) अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 4422843 हजार (चार सौ बयालीस करोड़ अठाईस लाख तैंतालीस हजार) अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 244406 हजार (चौबीस करोड़ चौवालीस लाख छः हजार) अनुदान संख्या-22 लोक निमार्ण कार्य के अन्तर्गत रू0 2400600 हजार (दो सौ चालीस करोड़ छः लाख) अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 264237 हजार (छब्बीस करोड़ बयालीस लाख सैंतीस हजार) अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 641920 हजार (चौंसठ करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 465551 हजार (छियालीस करोड़ पचपन लाख इक्यावन हजार) अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 5400 हजार (चौवन लाख) अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रू0 284800 हजार (अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख) अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 219052 हजार (इकीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार) अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 36910 हजार (तीन करोड़ उनहत्तर लाख दस हजार) अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 2424677 हजार (दो सौ बयालीस करोड़ छियालीस लाख सतहत्तर हजार) अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 842916 हजार (चौरासी करोड़ उन्तीस लाख सौलह हजार) के अन्तर्गत उसके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 48155092 हजार (रूपये चार हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ पचास लाख बयानबे हजार मात्र)को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए स्वीकार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में पुनः चर्चा श्री यतीश्वरानन्द के भाषण से आरम्भ हुई। निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कियेः-

श्रीमती सरिता आर्या,
श्री महावीर सिंह,
श्री पुष्कर सिंह धामी,
श्री प्रेम सिंह,
श्री राजेश शुक्ला,
श्री उमेश शर्मा। (काऊ)
चर्चा जारी रहेगी।

सदन की कार्यवाही 6 बजकर 04 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
अपर सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।